न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक), डीग जिला डीग(राज.)

प्र0संख्याः 63/2020(जी.सी.एम.एस. 2020/00082) पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

नत्थी पुत्र पदम जाति जाट निवासी ग्राम मौरोली तहसील जनूथर जिला डीग(राज0)

–सायल

बनाम

1. गयालाल
2. धूप सिंह

जातियान जाट नि0 मौरोली तहसील जनूथर जिला डीग(राज.)

–गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 26.11.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 529/0.09, वाके ग्राम मौरोली तहसील जनूथर में स्थित है। सायल सायल हिस्सा 1/2 व गैर सायलान संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बरावर हिस्सा 1/2 के मुताविक जमाबन्दी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। मुताविक हिस्सा जमाबन्दी सायल तथा गैर सायलान का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी सायल व गैर सायलान की मुश्तर्का कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमें सायल व गैर सायलान मुताविक हिस्सा जमाबन्दी खातेदार काश्तकार काबिज है और इसी अनुसार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायल एवं गैर सायलान के मध्य संयुक्त काश्त में नहीं बनती है और आपस में चाहे जब सायल व गैर सायलान के मध्य आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है तथा विभाजन कराये जाने की कहते है तो साफ इन्कार कर देते है। गैर सायलान आराजी को झगडे में डालने की नीयत से बिना विभाजन हुए अच्छी में से अच्छी आराजी को ताकतवर व झगडालू किस्म के व्यक्तियों को वेचान कर देना चाहते है व सायल को उसके हिस्सा आराजी से आउस्ट व बेदखल कर देना चाहते है एवं बिना कनवर्जन कराये कृषि भूमि को अकृषि भूमि में तब्दील कर देना चाहते है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 529/0.09,वाके ग्राम मौरोली तहसील जनूथर को बिना

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

विभाजन हुए कनवर्जन कराये बिना कृषि को अकृषि भूमि में तब्दील ना करे तथा दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करने हेतु गैर सायलान को ता फैसला दावा पावंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने से गैर सायलान संख्या 01 व 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील सायल की एक पक्षीय वहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

बहस के दौरान **सायल के विद्वान वकील** द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र सायलान अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ता फैसला वाद पावंद किये जाने का अनुरोध किया गया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः–</u> **सायलान का यह कथन रहा है कि** आराजी खसरा नम्बर 529/0.09, वाके ग्राम मौरोली तहसील जनूथर में स्थित है। सायल सायल हिस्सा 1/2 व गैर सायलान संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बरावर हिस्सा 1/2 के मुताविक जमाबन्दी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। मुताविक हिस्सा जमाबन्दी सायल तथा गैर सायलान का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी सायल व गैर सायलान की मुश्तर्का कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमें सायल व गैर सायलान मुताविक हिस्सा जमाबन्दी खातेदार काश्तकार काबिज है और इसी अनुसार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। **प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायल के पक्ष में प्रमाणित होना पाया जाता है।**

<u>सुविधा का संतुलनः–</u> सायलान का यह कथन रहा है कि गैर सायलान संख्या 01 व 02 वावजूदा सूचना व तामील के उपस्थित नहीं हुए है। सायल व गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य है। वर्णित आराजी पुश्तैनी है। ऐसी स्थिति में **सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित होना पाया जाता है।**

<u>अपूर्णनीय क्षतिः–</u> सायलान का यह कथन रहा है कि सायल व गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य है। वर्णित आराजी पुश्तैनी है। दौराने दावा यदि गैर सायलान के द्वारा आराजीयात को बेचान किया जाता है तो गैर सायलान की अपेक्षा सायल को **अपूर्णनीय क्षति होगी।** ऐसी स्थिति में यह बिन्दु सायल के पक्ष में प्रमाणित होना पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायल द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड,का अवलोकन व प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। उपर्युक्त विवरण अनुसार हम सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट,स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत 53 व 188 आर.टी.एक्ट के निर्णय/अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 529/0.09, वाके ग्राम मौरोली तहसील जनूथर में स्थित है, पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये,रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner